बारां नागरिक सहकारी बैंक लि0, प्रधान कार्यालय बारां,
किराया नामा की टर्म एण्ड कन्डीशन

1. किराया की तय शुदा दर 00/– प्रति वर्गफुट देय होगी। जिसका भुगतान बैंक प्रतिमाह परिसर मालिक के खाते में कर देगा। किराया राशि पर टी.डी.एस. काटकर भुगतान किया जावेगा।
2. भवन परिसर में प्रथम पक्ष को 2 X 2 की फ्लोरिंग टाईल्स लगवानी होगी।
3. भवन परिसर में प्रथम पक्ष को शटर/चेनल गेट लगाने होगें।
4. बिजली फिटिंग एवं नल की फिटिंग मय 500 लीटर पानी की दो टंकियां प्रथम पक्ष द्वारा लगवाई जावेगी।
5. परिसर स्वामी बैंक के नाम से नल एवं बिजली के कनेक्शन लेने हेतु एन. ओ. सी. देगा।
6. भवन का निर्माण बैंक के नक्शा/नियमानुसार/रिर्जव बैंक के नॉमर्स अनुसार होगा।
7. बैंक भवन परिसर तीन माह की अवधि में तैयार करवा कर देना होगा।
8. समय समय पर निर्माण सम्बन्धि निरीक्षण बैंक के इंजिनियर्स/अधिकारियों द्वारा किया जावेगा। किसी प्रकार की कमी या भिन्नता पाये जाने पर तत्काल सुधार कराना होगा।
9. निर्माण उपरान्त भवन किराये का अनुबन्ध पृथक से करना होगा।
10. परिसर निर्माण की नियमानुसार कॉमर्शियल निर्माण की इजाजत होना चाहिए।
11. दीवारों पर प्लास्टिक पेन्ट बैंक कलर कोड के अनुसार एवं चेनल, शटर एवं ग्रिलों पर वार्नेश पेन्ट करवाना होगा।
12. बैंक भवन परिसर की छत पर शाखा नेटवर्क का ऐन्टिना लगाने दिया जायेगा। जिसका कोई अतिरिक्त चार्ज देय नहीं होगा। परिसर मालिक द्वारा प्रथम तल पर निर्माण करवाने की दशा में बैंक अपने ऐन्टिना को उपर शिफ्ट कर देगा।
13. भवन की छत का ढकान (रूफ हाईट) 18.00 फिट की रखनी होगी। जिसमें पीछे की और 30 तक में अथवा परिस्थिति अनुसार बालकनी बनवानी होगी।
14. स्ट्रोंग रूम का निर्माण RBI के नार्मस अनुसार होगा। जिसमें बेस नो इन्ची व दीवारें व छत नौ इन्ची बनेगी। सरिया डबल जाल में छः–छः के स्क्वायर पर बाधां जावेगा। सरिये की मोटाई बैंक के अनुसार रखना होगी।
15. यदि परिसर मालिक निर्माण कार्य हेतु बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहेगा तो उसे प्लिन्थ लेबल (नींव कुर्सी) तक अपने खर्चे पर स्वंय निर्माण करवायेगा। तत्पश्चात नियमानुसार पूर्ति पूर्ण करने पर शेष ईस्टीमेट का 70 प्रतिशत प्राप्त कर सकेगा।
16. अन्य किसी प्रकार की आवश्यकता होगी, वह मोका के आधार पर बता दी जावेगी।

महाप्रबन्धक